भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 708

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2021

संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना

708. श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रताप चंद्र षडड्.गी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** सरकार की 3 लाख करोड़ संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों और स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) : योजना के कार्यान्वयन के समय से लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) **:** क्या सरकार का योजना की सीमा या वैधता का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क), (ग) और (घ): आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण के तहत है। ईसीएलजीएस के तहत मौजूदा समग्र गारंटी सीमा को 3 लाख करोड़ रुपए से 4.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और स्कीम को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.06.2022 तक बढ़ा दी गई है। डीएफएस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 19.11.2021 तक इस स्कीम के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपए के ऋण संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख): इस स्कीम के कार्यान्वयन के आरंभ से लेकर अब तक राज्य और वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 708, जिसका उत्तर दिनांक 02.12.2021 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-I

19 नवम्बर, 2021 तक ईसीएलजीएस के तहत राज्य-वार जारी गारंटियां					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य वार ईसीएलजीएस वित्त वर्ष 2020-21		राज्य वार ईसीएलजीएस वित्त वर्ष 2021-22	
		जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटी राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटी राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	1,978	96.01	58	20.42
2	आंध्र प्रदेश	2,52,978	8,551.41	30,664	850.13
3	अरूणाचल प्रदेश	2,228	71.32	60	4.06
4	असम	5,29,084	2,686.35	19,971	252.06
5	बिहार	6,44,932	3,769.41	1,68,311	367.63
6	चंडीगढ़	6,329	865.36	374	151.97
7	छत्तीसगढ़	1,40,247	4,046.33	57,854	454.86
8	दादरा और नगर हवेली	2,071	261.21	77	50.99
9	दमन और दीव	913	122.75	27	14.93
10	दिल्ली	90,581	14,443.46	11,105	3,439.62
11	गोवा	11,794	757.82	512	315.96
12	गुजरात	3,01,567	22,057.66	61,813	2,069.32
13	हरियाणा	1,56,217	10,761.62	43,136	2,119.27
14	हिमाचल प्रदेश	45,932	1,520.42	1,896	223.37
15	जम्मू और कश्मीर	66,698	1,944.67	450	144.14
16	झारखंड	2,40,876	2,603.88	53,897	316.27
17	कर्नाटक	4,68,758	15,726.78	4,02,124	2,240.78
18	केरल	4,01,564	7,701.51	1,23,661	1,077.47
19	लद्दाख	999	44.08	25	7.76
20	लक्षदीप	369	1.91	---	0.00
21	मध्य प्रदेश	3,95,725	7,563.08	1,65,047	852.68
22	महाराष्ट्र	8,85,269	37,169.08	1,16,588	5,783.99
23	मणिपुर	10,256	122.58	124	3.59
24	मेघालय	11,030	200.90	314	11.19
25	मिजोरम	3,721	53.52	80	4.09
26	नागालैंड	7,396	68.35	32	1.24
27	ओडिशा	8,80,357	4,562.86	50,599	407.94
28	पुदुचेरी	14,289	423.23	8092	51.85
29	पंजाब	1,89,508	7,611.75	14,095	855.7
30	राजस्थान	3,05,336	11,935.68	2,39,260	1,733.34
31	सिक्किम	8,176	81.87	74	28.98
32	तमिलनाडु	6,53,257	25,092.75	2,10,336	3,060.03
33	तेलंगाना	1,31,649	10,115.75	11,115	1,109.23
34	त्रिपुरा	60,466	243.89	1,725	16.30
35	उत्तर प्रदेश	6,58,970	14,919.58	1,39,957	1,506.83
36	उत्तराखंड	66,065	2,054.42	5,703	360.14
37	पश्चिम बंगाल	18,89,240	13,726.97	1,22,882	1,503.94
कुल		**95,36,825**	**23,39,80.22**	**20,62,038**	**3,14,12.07**
स्रोत- वित्तीय सेवाएं विभाग/एनसीजीटीसी					